इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023–आषाढ़ 9, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाऐं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में लिपिकीय त्रुटिवर्ष अजय कुमार पुत्र मुन्नालाल अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में सुमित कुमार पुत्र मुकेश कुमार है. जो कि सही नाम है. अतः मेरे आधार कार्ड में सही नाम सुमित कुमार पुत्र मुकेश कुमार लिखा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(अजय कुमार)
पुत्र–मुन्नालाल

नया नाम
(सुमित कुमार)
पुत्र–मुकेश कुमार
निवासी–ठाकुरपुर, शिवपुरी.

(G-1187)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे नाम की इंग्लिश में स्पेलिंग शोएब मंसूरी पिता शौकत मंसूरी (Shoiab/Shoyab S/o Shokat Mansuri) थी. जो त्रुटिवश विभिन्न डाक्यूमेंट्स में दर्ज हो गया था. जबकि वास्तव में मेरा सही नाम शोएब मंसूरी पिता शौकत मंसूरी (Shoaib Mansuri S/o Shokat Mansuri) है जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम शोएब मंसूरी पिता शौकत मंसूरी (Shoaib Mansuri S/o Shokat Mansuri) से ही जाना पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो.

पुराना नाम
(Shoiab/Shoyab S/o Shokat Mansuri)

नया नाम
(Shoaib Mansuri S/o Shokat Mansuri)
निवासी–अटाहेड़ा,
इंदौर.

(G-1188)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम वंशित बाकलीवाल पिता सुनील बाकलीवाल (Vanshit Bakliwal S/o Sunil Bakliwal) था. जो की मेरे दत्तक पुत्र बनने (गोदी जाने) से पहले का नाम था जो की मेरे पैन कार्ड एवं मार्कशीट पर दर्ज है जो की मेरा ही नाम है. परन्तु दत्तक पुत्र बनने पर अब मेरा नाम वंशित पाटनी पिता सुभाषचंद पाटनी (Vanshit Patni S/o Subhash Chand Patni) हो गया है जो मेरे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम वंशित बाकलीवाल पिता सुनील बाकलीवाल (Vanshit Bakliwal S/o Sunil Bakliwal) एवं वंशित पाटनी पिता सुभाषचंद पाटनी (Vanshit Patni S/o Subhash Chand Patni) एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम वंशित पाटनी पिता सुभाषचंद पाटनी (Vanshit Patni S/o Subhash Chand Patni) से ही जाना पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो.

पुराना नाम
(वंशित बाकलीवाल)
पिता सुनील बाकलीवाल

नया नाम
(वंशित पाटनी)
पिता सुभाषचंद पाटनी
निवासी–92, विंध्याचल नगर,
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर.

(G-1189)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की पूर्व में मेरा नाम पप्पू मौर्य पिता गेंदालाल मौर्य (Pappu Mourya S/o Gendalal Mourya) था जो में आज से पूर्व उपयोग करता था जो मेरे आधार, पैन, मार्कशीट आदि दस्तावेजों पर दर्ज है पर अब मैंने अपना नाम बदलकर हर्ष मौर्य पिता गेंदालाल मौर्य (Harsh Mourya S/o Gendalal Mourya) रख लिया है तथा उपरोक्त दोनों नाम हर्ष मौर्य एवं पप्पू मौर्य एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही नाम हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम हर्ष मौर्य पिता गेंदालाल मौर्य (Harsh Mourya S/o Gendalal Mourya) से ही जाना पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो.

पुराना नाम
(पप्पू मौर्य)

नया नाम
(हर्ष मौर्य)
निवासी–233, एन नंदन नगर गंगा,
बगीची के पास, इन्दौर.

(G-1190)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स गिरधर ट्रान्सपोर्ट कंपनी फर्म जिसका पता–25, गुमास्ता नगर, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00114/14 दिनांक 23–07–2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री पुखराज अग्रवाल पिता श्री शांतिलाल अग्रवाल, 2. श्री रविराज अग्रवाल पिता श्री शांतिलाल अग्रवाल, 3. श्री राहुल अग्रवाल पिता श्री कांतिलाल अग्रवाल, 4. श्री आशिष अग्रवाल पिता श्री सुरेश अग्रवाल, 5. श्री नीरज अग्रवाल पिता श्री रमेश अग्रवाल, 6. श्री दीपेश अग्रवाल पिता स्व. श्री दिनेश अग्रवाल थे. तत्पश्चात् दिनांक 01–06–2023 को भागीदारी विघटन लेख द्वारा उक्त भागीदारी फर्म का विघटन हो गया है. यह विदित हो.

तर्फे
मेसर्स गिरधर ट्रान्सपोर्ट कंपनी
1. श्री पुखराज अग्रवाल, 2. श्री रविराज अग्रवाल, 3. श्री राहुल अग्रवाल,
4. श्री आशिष अग्रवाल, 5. श्री नीरज अग्रवाल, 6. श्री दीपेश अग्रवाल
पार्टनर.

(G-1191)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम संजीव कुमार जुनेजा है. मेरे पुत्रों श्री सार्थक जुनेजा एवं श्री समर्थ जुनेजा की मार्कशीट में मेरा नाम संजीव जुनेजा अंकित हो गया है. अतएव भविष्य में समस्त मार्कशीट एवं शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी संजीव कुमार जुनेजा नाम से दर्ज किया जावे.

भवदीय,
(संजीव कुमार जुनेजा)
महाराणा प्रताप वार्ड, हरदा,
जिला हरदा, (म.प्र.).

(G-1192)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ शारदा कांस्ट्रक्शन फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 05/26/01/0118/18, दिनांक 22–11–2018 पता–गली नं. 02, प्रेम विहार कॉलोनी, तहसील–रघुराजनगर, सतना (म.प्र.) यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 01–04–2023 से फर्म के पार्टनर सिद्धार्थ दास पिता श्री नागेंद्र चन्द्र दास, निशांत कॉलोनी, राजेंद्र नगर, सतना दिनांक 01–04–2023 को अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं फर्म के नये पार्टनर रूप में सपना खिलवानी पत्नी श्री मोहित खिलवानी, प्रेम विहार कॉलोनी, तहसील–रघुराजनगर, सतना दिनांक 01–04–2023 से फर्म में शामिल हो गये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे.

द्वारा फर्म
मेसर्स माँ शारदा कांस्ट्रक्शन,
मोहित खिलवानी,
(पार्टनर)
सतना (म.प्र.).

(G-1193)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s NARMADA WAREHOUSE, Address-1, चतरखेड़ा रोड, बनापुरा, तहसील–सिवनी मालवा, जिला–नर्मदापुरम Reg. No. 01/07/08/00325/12, Date 15-11-2012 है. भागीदारी फर्म दिनांक 18–09–2021 को भंग कर दी गयी है.

M/s NARMADA WAREHOUSE,
SAROJ VIJAY AGRAWAL,
(Partner).

(G-1194)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम चंद्र भूषण कुशवाहा पुत्र श्री रामकिशन है. यह कि मेरे आधार कार्ड में चंद्रभूषण कुशवाहा लिपिकीय त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. अतः भविष्य में चंद्रभूषण कुशवाहा के स्थान पर चंद्र भूषण कुशवाहा (CHANDRA BHOOSHAN KUSHWAHA) पुत्र श्री रामकिशन के नाम से जाना व पहचाना जावेगें.

पुराना नाम
(चंद्रभूषण कुशवाहा)
(CHANDRABHOOSHAN KUSHWAHA)

नया नाम
(चंद्र भूषण कुशवाहा)
(CHANDRA BHOOSHAN KUSHWAHA)
पिता–श्री रामकिशन
पताः– मकान नं. डी–40, बुधवाड़ा, ग्लोबल पार्क,
हरदा बायपास रोड़, नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-1195)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वंदना विकास खरे पति श्री विकास खरे पूर्व में मैं, वंदना नितिन कांबले के नाम से जानी एवं पहचानी जाती रही एवं वंदना नितिन कांबले मेरे आधार कार्ड में भी दर्ज है. मेरे पति नितिन ह. कांबले का देहांत हो गया तब उपरांत मेरा विवाह श्री विकास खरे स्व. श्री बी.एल. खरे के साथ कोर्ट मैरिज के माध्यम से हुआ. मैं, अपने पूर्व नाम वंदना नितिन कांबले के स्थान पर वंदना विकास खरे पति श्री विकास खरे के नाम से जानी व पहचानी जाना चाहती हूँ एवं शासकीय सम्पूर्ण दस्तावेजों में अपना नाम वंदना विकास खरे पति श्री विकास खरे के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(वंदना नितिन कांबले)
(Vandna Nitin Kamble)

नया नाम
(वंदना विकास खरे)
(Vandna Vikas Khare)
निवासी–ग्राम, जैतपुर थाना एवं तहसील जैतपुर,
जिला– शहडोल (म.प्र.).

(G-1196)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती हेमलता पटेल पत्नी श्री हेमराज पटेल मेरा वास्तविक नाम हेमलता पटेल पत्नी श्री हेमराज पटेल (HEMLATA PATEL W/o HEMRAJ PATEL) है जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. मेरे किन्ही पुराने दस्तावेजों में मेरा पुराना नाम रश्मि पटेल (RASHMI PATEL) लिखा हुआ है, जो कि मेरा पुराना नाम अथवा घरेलु प्रचलित नाम है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, अर्थात मेरे स्वयं के हैं. मैं, दोनों नामों से जानी व पहचानी जाती हूँ.

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हेमलता पटेल पत्नी श्री हेमराज पटेल (HEMLATA PATEL W/o HEMRAJ PATEL) के नाम से ही जाना व पहचाना जाये व मेरे द्वारा समस्त दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया है.

पुराना नाम
(रश्मि पटेल)
(RASHMI PATEL)

नया नाम
(हेमलता पटेल)
(HEMLATA PATEL)
पत्नी श्री हेमराज पटेल
पताः– इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं.–01, हतवास, पिपरिया,
जिला–होशंगाबाद (नर्मदापुरम) (म.प्र.).

(G-1197)

नाम परिवर्तन

मैं, मोनिका देशमुख सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे द्वारा मेरे पुत्र एवं पुत्री के समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अभिलेखों में पुत्र का नाम अरकान खान से शोर्यवीर देशमुख एवं पुत्री का नाम जूही खान से जूही देशमुख कर लिया है, जो उनके स्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित हैं. मेरे पुत्र एवं पुत्री के आधार कार्ड, अंकसूची दस्तावेजों में पुराना नाम दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र एवं पुत्री के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नवीन नाम शोर्यवीर देशमुख एवं पुत्री का नाम जूही देशमुख अंकित किया जावे.

पुराना नाम
(अरकान खान) (पुत्र)
(जूही खान) (पुत्री)

नया नाम
(शोर्यवीर देशमुख)
(जूही देशमुख)
भवदीय
मोनिका देशमुख (माता)
निवासी– म.नं– 20 श्री विहार कॉलोनी,
आशाराम बापू आश्रम के पास,
खंडवा नाका इंदौर (म.प्र.).

(G-1198)

नाम परिवर्तन

मैं, विभाष विवेक वैद्य पिता डॉ. विवेक विनायक वैद्य, पता– 115, नेहरू नगर, मेडिकल कॉलेज के सामने, त्रिपुरी वार्ड, जबलपुर, (म.प्र.) मेरे 10वीं, 12वीं एवं विश्वविद्यालय के अंकपत्रों में मेरा नाम विभाष वैद्य (VIBHASH VAIDYA) लिखा गया है, जबकि मेरे अन्य सभी अभिलेखों जैसे बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में मेरा नाम विभाष विवेक वैद्य (VIBHASH VIVEK VAIDYA) ही लिखा गया है एवं प्रचलन में है. मैं, अपना नाम विभाष विवेक वैद्य (VIBHASH VIVEK VAIDYA) ही जारी रखना चाहता हूँ एवं समस्त अभिलेखों आदि में इसी नाम का उपयोग करूँगा एवं इसी नाम से जाना जाऊँगा. अतः आगे मेरे सभी शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम विभाष विवेक वैद्य (VIBHASH VIVEK VAIDYA) दर्ज किया ज़ावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विभाष वैद्य)	**(विभाष विवेक वैद्य)**
(VIBHASH VAIDYA)	(VIBHASH VIVEK VAIDYA)

(G-1199)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स SR INFRA AND DEVELOPERS पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0240/22 दिनांक 16 सितम्बर 2022 पंजीकृत फर्म है तथा इस फर्म का पता– फ्लेट नं. एस–2, सेकेण्ड फ्लोर, मारूति नंदन काम्पलेक्स, बावड़िया कलां, तह. हुजूर, भोपाल संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 03 जून 2023 को श्री लक्ष्मीकांत यादव पिता श्री हुकुम चंद यादव को इस भागीदारी फर्म में आपसी सहमति से शामिल किया गया है तथा श्री दिलीप कुमार गंगवानी पिता श्री भगवानदास गंगवानी, निवासी भोपाल अपनी स्वेच्छा से इस फर्म से पृथक हो रहे हैं.

SR INFRA AND DEVELOPERS,
प्रतीक कुमार भार्गव,
भागीदार.

(G-1200)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजू सविता पुत्र छोटेलाल मेरी पुत्री प्रिया सविता के आधार कार्ड में उपनाम सविता की जगह श्रीवास्तव लिपिकीय त्रुटिवश तथा मेरा नाम राजू सविता की जगह राजू श्रीवास्तव गलत अंकित हो गया है. अतः भविष्य में प्रिया श्रीवास्तव की जगह प्रिया सविता पुत्री राजू श्रीवास्तव की जगह राजू सविता के नाम से जाने–पहचाने जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रिया श्रीवास्तव)	**(प्रिया सविता)**
पुत्री–राजू श्रीवास्तव	पुत्री–राजू सविता
	निवासी– 56 न्यू कालोनी नं. 2,
	बिरला नगर, ग्वालियर.

(G-1201)

नाम परिवर्तन

मैं, दुर्वासा प्रसाद दुबे पिता स्व. रामनारायण दुबे, पता–ग्राम पिपरिया (कुशनेर) पोस्ट बड़खेड़ा, तह. पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.) मेरा नाम दुर्वासा प्रसाद दुबे है. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं सर्विस बुक में मेरा नाम इंग्लिश में DURWA SA PRASAD DUBEY है, जबकि मेरे PPO No. रिकार्ड क्रमांक S/038413/96 में मेरा नाम DURWASA PRASHAD

है, जिसमें PRASHAD की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. उसे सही कर PRASAD किया जावे साथ ही पूरा नाम DURWASA PRASAD DUBEY किया जावे, जो कि पूर्णतः सत्य है. मेरे PPO No. रिकार्ड क्र. S/038413/96 में सुधारकर DURWASA PRASAD DUBEY किया जाए और अन्य किसी रिकार्ड में यदि मेरा नाम DURWASA PRASAD DUBEY नहीं है तो उसे भी सही किया जावे.

पुराना नाम
(DURWASA PRASHAD DUBEY)
(दुर्वासा प्रसाद दुबे)

नया नाम
(DURWASA PRASAD DUBEY)
(दुर्वासा प्रसाद दुबे)

(G-1202)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे आधार कार्ड एवं वोटर आई डी कार्ड में मेरा नाम कोदूलाल श्रीवास्तव दर्ज है. मेरा नाम कोदूलाल श्रीवास्तव पिता स्व. पूरनलाल श्रीवास्तव है. कोदूलाल श्रीवास्तव एवं कमल किशोर श्रीवास्तव दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात मेरे ही हैं और मुझे इन दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता है. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कोदूलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये.

(कोदूलाल श्रीवास्तव)
पता–फ्लैट नं. 402, स्वर्णिका होम्स,
तक्षशिला कॉलेज रोड, शारदा चौक,
मदन महल, जबलपुर (म.प्र.).

(G-1203)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की पूर्व में मेरा नाम गौतम राठौर पिता मोहनलाल राठौर (Gautam Rathore S/o Mohanlal Rathore) था, जो में आज से पूर्व उपयोग करता था. जो मेरे आधार एवं मार्कशीट आदि दस्तावेजों पर दर्ज है पर अब मैंने अपना नाम बदलकर रोनिश राठौर पिता मोहनलाल राठौर (Roniish Rathore S/o Mohanlal Rathore) रख लिया है तथा उपरोक्त दोनों नाम गौतम राठौर एवं रोनिश राठौर एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही नाम हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम रोनिश राठौर पिता मोहनलाल राठौर (Roniish Rathore S/o Mohanlal Rathore) से ही जाना–पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो.

पुराना नाम
(गौतम राठौर)

नया नाम
(रोनिश राठौर)
निवासी : 267 हुकुमचंद कॉलोनी, इंदौर.

(G-1204)

नाम परिवर्तन

आनंद पवार आत्मज श्री किशन लाल पवार, ख्वाईश पवार मेरी पुत्री है. मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में ख्वाईश पवार (KHWAISH PAWAR) अंकित है. अब हमारे द्वारा अपनी पुत्री का नाम आरिका पवार (AARIKA PAWAR) रख लिया गया है तथा अब मेरी पुत्री आरिका पवार (AARIKA PAWAR) के ही नाम से जानी एवं पहचानी जाएगी तथा यही नाम आरिका पवार (AARIKA PAWAR) होगा. मैं, अपनी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में आरिका पवार (AARIKA PAWAR) परिवर्तित करवाना चाहता हूँ.

द्वारा–आनंद पवार,
एफ 8/18, शिवा विसपरिंग वूड्स,
सलैया, बावड़ियां कलां, भोपाल.

(G-1205)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम धर्मेन्द्र सिंह राजपूत है, जो कि मेरी मार्कशीटों एवं राज्य अधिवक्ता परिषद् जबलपुर (म.प्र.) के सनद् क्र. 2945/2008 के रूप में दर्ज है. मैं, अपना उपनाम राजपूत के स्थान पर राजावत कर रहा हूँ. भविष्य में मुझे धर्मेन्द्र सिंह राजपूत (Dharmendra Singh Rajpoot) के स्थान पर धर्मेन्द्र सिंह राजावत (Dharmendra Singh Rajawat) के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे एवं यही नाम मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धर्मेन्द्र सिंह राजपूत)

नया नाम
(धर्मेन्द्र सिंह राजावत)
पुत्र–श्री छतर सिंह राजावत,
पता–भगवान कॉलोनी,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1206)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम साधू राव जो कि NO. 13857010 एक्स नायक में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में मेरा नया नाम साधू राव काम्बले दर्ज है. इस प्रकार मैंने अपना नया नाम साधू राव काम्बले ग्रहण कर लिया है, जो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेंदार समाजजन, नये परिवर्तित नाम साधू राव काम्बले के नाम से जाने पहचाने व पुकारे.

पुराना नाम
(साधू राव)

नया नाम
(साधू राव काम्बले)
निवासी–50, विक्रम नगर, किशनगंज,
महू, जिला–इन्दौर.

(G-1207)

नाम परिवर्तन

मैं, बलीराम धम्मेरिया आ. श्री मातादीन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम बलीराम अंकित है. जबकि मेरा सही नाम बलीराम धम्मेरिया है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मुझे सभी शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों में बलीराम धम्मेरिया के नाम से जाना एवं पहचाना पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(बलीराम)

नया नाम
(बलीराम धम्मेरिया)
पिता–श्री मातादीन.

(G-1208)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपा जैन (DEEPA JAIN) पुत्री श्री हजारीमल जैन मेरा नाम था, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मेरा विवाह श्री राजकरण डागा (RAJKARAN DAGA) पुत्र श्री शेषकरण डागा के साथ हो जाने के कारण मेरा नाम दीपा डागा (DEEPA DAGA) पत्नी राजकरण डागा (RAJKARAN DAGA) हो

गया है. मैं वर्तमान एवं भविष्य में इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. दीपा जैन (DEEPA JAIN) एवं दीपा डागा (DEEPA DAGA) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम दीपा जैन (DEEPA JAIN) के स्थान पर दीपा डागा (DEEPA DAGA) लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(दीपा जैन)
(DEEPA JAIN)
पुत्री–श्री हजारीमल जैन,

नया नाम
(दीपा डागा)
(DEEPA DAGA)
पत्नी–राजकरण डागा
(RAJKARAN DAGA)
निवासी–रिसाला बाजार, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1209)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शासकीय दस्तावेज सभी मार्कशीट में पप्पु बघेल (PAPPU BAGHEL) पिता कैलाशचन्द्र बघेल (KAILASH CHANDRA BAGHEL) लिखा था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके आशीष बघेल (AASHISH BAGHEL) पिता कैलाशचन्द्र बघेल (KAILASH CHANDRA BAGHEL) कर दिया है. अब मुझे सभी व्यक्ति आशीष बघेल पिता कैलाशचन्द्र बघेल के नाम से जानते हैं. मेरा नाम सभी शासकीय/अशासकीय व मेरे सर्विस रिकार्ड में आशीष बघेल (AASHISH BAGHEL) लिखा, पढ़ा जावे. विदित हो.

पुराना नाम
(पप्पु बघेल)
(PAPPU BAGHEL)

नया नाम
(अशीष बघेल)
(AASHISH BAGHEL)

(G-1210)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उसके आधारकार्ड में त्रुटिवश अबीस तडवी (Abis Tadavi) अंकित हो गया है, जिसमें मैं, वर्तमान में अपने पुत्र का नाम "अविनाश तड़वी (Avinash Tadavi)" कराना चाहता हूँ, अर्थात मेरे पुत्र का नाम "अविनाश तड़वी Avinash Tadavi)" करना चाहता हूँ, जिस हेतु मेरे पुत्र " अविनाश तड़वी Avinash Tadavi)" के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

भवदीय
(जबरसिंग)
ग्राम आवंलिखेड़ा, तहसील आष्टा,
जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1211)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सिम्मी थोमस पिता श्री थोमस था, जिसे मैं, परिवर्तित कर श्रीमती सिम्मी अनिश पति श्री अनिश मेथ्यु (SIMMI ANISH W/O ANISH MATHEW) करना चाहती हूँ. मेरे आधारकार्ड एवं मार्कशीट में मेरा नाम सिम्मी थोमस पिता श्री थोमस ही दर्ज है, जो की मेरे विवाह पूर्व का नाम है तथा आगे से श्रीमती सिम्मी अनिश पति श्री अनिश मेथ्यु (SIMMI ANISH W/O ANISH MATHEW) नाम से ही जानी, पहचानी जाऊंगी. विदित हो.

पुराना नाम
(सिम्मी थोमस)
पिता–श्री थोमस

नया नाम
(सिम्मी अनिश)
पति–अनिश मेथ्यु.

(G-1212)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का पुराना नाम मनीषिका फबयानी को परिवर्तित कर नया नाम महक फबयानी (MEHAK FABYANI) उम्र 14 हो गई है. इससे पूर्व मेरी पुत्री का नाम मनीषिका फबयानी था. मैं, अपनी पुत्री का नाम महक फबयानी (MEHAK FABYANI) कराना चाहता हूँ. मेरी पुत्री का नाम समस्त दस्तावेजों में मनीषिका फबयानी के स्थान पर महक फबयानी (MEHAK FABYANI) किया जावे.

अतः अब मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम लिखा है उसे परिवर्तन कर नया नाम महक फबयानी (MEHAK FABYANI) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम
(मनीषिका फबयानी)

नया नाम
(महक फबयानी)
पिता प्रकाश फबयानी.

(G-1213)

CHANGE OF NAME

I, GANGA RAM TIKARE (Existing Name as per Service Documents), Son of MANGAL TIKARE. I have changed my name from GNAGA RAM TIKARE to GANGARAM TIKARE (Proposed New Name) *vide* Affidavit Dated 08 May, 2023 at Gwalior (Place).

Old Name
(GNAGA RAM TIKARE)

New Name
(GANGARAM TIKARE)
Add.-A-110, Janki Nagar, Chunabhatti,
Kolar Road, Bhopal M.P.

(G-1214)

CHANGE OF NAME

I, No. 880047674 HC Maniram Chourasiya 50 Bn BSF, Residence -97, Trimurti Nagar, Behind Mela Ground, Thatipur, Gwalior (M.P.) My name mentioned as Maniram in my service record but my real name is Maniram Chourasiya S/o Late Shri Mangal Singh Chourasiya that is mentioned in my Aadhar Card & All other Documents also and that is true and also want to mention that in my service Record and also stated.

Old Name
(MANIRAM)

New Name
(MANIRAM CHAURASIYA)

(G-1215)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभिनन अभिलेखों अनुसार मेरा विवाह पूर्व नाम "अंजली शर्मा पुत्री श्री कैलाशचंद्र शर्मा" है. विवाह उपरांत मेरा नाम "श्रीमती अंजली श्रोत्रिय पति श्री आनंद श्रोत्रिय" हो गया होकर मुझे मित्रों व परिवारजन द्वारा "श्रीमती अंजली श्रोत्रिय पति श्री आनंद श्रोत्रिय" के नाम से पुकारा, जाना, पहचाना जाता है. अतः मैंने अपना नाम परिवर्तित कर "श्रीमती अंजली श्रोत्रिय पति श्री आनंद श्रोत्रिय" होकर मैं इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाउंगी तथा भविष्य में भी मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा.

पुराना नाम
(अंजली शर्मा)
पुत्री–श्री कैलाशचंद्र शर्मा

नया नाम
(अंजली श्रोत्रिय)
पति–श्री आनंद श्रोत्रिय
निवासी–67, वनश्री कालोनी, चितावद रोड
इंदौर (म.प्र.).

(G-1216)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु मैं, DDEV CHANDRWANSHI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI निवासी–म.नं. 216, भारत नगर जे.के. रोड, भोपाल पूर्व मैं मेरा नाम DEV CHANDRAWANSHI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI था जिसे मैंने परिवर्तित करते हुए DDEV CHANDRWANSHI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI कर लिया है जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे DDEV CHANDRWANSHI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम
(DEV CHANDRAWANSHI)

नया नाम
(DDEV CHANDRWANSHI)

(G-1217)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा गलत नाम अवनी राय पिता श्री राजेन्द्र कुमार राय था मेरे जन्म प्रमाण पत्र एवं शाला स्थानांतरण–पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में मेरा आराध्या राय नाम दर्ज है. जो कि सही है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में अवनी राय नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है. तथा मेरा सही नाम आराध्या राय है तथा वर्तमान में आराध्या राय के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

प्रार्थी
(आराध्या राय)
पिता श्री राजेन्द्र कुमार राय
निवासी–17, दुर्गा कॉलोनी, संजीवनी नगर,
गढ़ा, जबलपुर.

(G-1218)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम शिजा उपाध्याय पिता स्व. श्री नरेश कुमार उपाध्याय था तथा दिनांक 13–07–2022 को विरक्त साध्वी के रूप में श्रीमद् जगदगुरु निम्बार्काचार्य, पीठाधीश्वर स्वभूराम, द्वाराचार्य श्री राधामोहन दास देवाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली. तब से मेरा नाम परिवर्तित हो गया है तथा मैं, अब परिवर्तित नाम साध्वी सर्वेश्वरी शिष्या राधा मोहन दास लिखने लगी हूँ तथा वर्तमान में साध्वी सर्वेश्वरी शिष्या राधा मोहन दास के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

प्रार्थी
(साध्वी सर्वेश्वरी शिष्या)
राधा मोहन दास.

(G-1219)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोनिका बजाज (MONICA BAJAJ) था, जो कि अब बदलकर मोनिका बजाज (MONIKA BAJAJ) हो गया है, अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(मोनिका बजाज)
(MONICA BAJAJ)

नया नाम
(मोनिका बजाज)
(MONIKA BAJAJ)
पति श्री राजकुमार बजाज
पता–208, ब्लॉक ई त्रिवेणी कॉलोनी,
ऑरेन्ज काउंटी, इंदौर

(G-1220)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्री रवीश कुमार सिंह (RAVEESH KUMAR SINGH) आत्मज श्री दिवाकर प्रसाद सिंह निवासी–चिरायू मेडीकल कॉलेज बी. ब्लोक/301, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, एवं नाम श्री रवीश कुमार सिंह (RAVEESH KUMAR SINGH) लिखने लगा हूं, पूर्व में मुझे श्री रबिश कुमार (RABISH KUMAR) के नाम से जाना पहचाना जाता था. अब मुझे हमेशा के लिये श्री रवीश कुमार सिंह (RAVEESH KUMAR SINGH) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रबिश कुमार)
(RABISH KUMAR)

नया नाम
(रवीश कुमार सिंह)
(RAVEESH KUMAR SINGH)

(G-1221)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम जितिन अरोरा (JITIN ARORA) पिता श्री अमरीकचंद अरोरा था, जो मेरे शेयर प्रमाण–पत्रों पर अंकित हो गया है किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर जितिन ठक्कर (JITIN THAKKAR) पिता श्री अमरीकचंद ठक्कर कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य मे मुझे मेरे परिवर्तित नाम जितिन ठक्कर (JITIN THAKKAR) पिता श्री अमरीकचंद ठक्कर के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(जितिन अरोरा)
(JITIN ARORA)

नया नाम
(जितिन ठक्कर)
(JITIN THAKKAR)
पिता श्री अमरीकचंद ठक्कर
पता–22/24, यशवंत निवास रोड
इंदौर (म.प्र.).

(G-1222)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वेलपेक इंडस्ट्रीज, 64 उध्योगपूरी, आगर रोड, उज्जैन जिसका पंजीयन नंबर 07/33/01/0008/22, दिनाक 08–04–2022 है. इस फर्म में 1. श्यामसुंदर गुप्ता, 2. विजय गुप्ता, 3. अजय गुप्ता, 4. अक्षत गुप्ता कुल चार भागीदार थे. दिनाक 17–07–2022 को भागीदार विजय गुप्ता कि मृत्यु हो जाने के कारण भागीदारी में विजय गुप्ता के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती गरिमा गुप्ता को दिनांक 17–07–2022 से फर्म में नया भागीदार बनाया गया है. दिनाक 04–01–2023 से फर्म का नाम परिवर्तित करके गुप्ता पोलीपेक इंडस्ट्रीज रखा गया है. अतः दिनाक 04–01–2023 से फर्म का नाम गुप्ता पोलीपेक इंडस्ट्रीज रहेगा एवं फर्म के चार भागीदार रहेंगे.

गुप्ता पोलीपेक इंडस्ट्रीज,
1. श्यामसुंदर गुप्ता पिता श्री मुन्नालाल गुप्ता,
2. श्रीमती गरिमा गुप्ता पति श्री विजय गुप्ता,
3. अजय गुप्ता पिता श्री मुन्नालाल गुप्ता,
4. अक्षत गुप्ता पिता श्री अजय गुप्ता,
भागीदार.

(G-1223)

नाम परिवर्तन

सर्वसामान्य को विदित हो कि मेरा पूरा नाम हिन्दी में तुषार रारसेने है एवं अंग्रेजी में (TUSHAR RAISANE) है, किन्तु त्रुटिवश मेरी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकण्डरी स्कूल परीक्षा वर्ष 2007 की मार्कशीट में मेरा नाम अंग्रेजी में (TUSHAR RAISENE) दर्ज किया हुआ है. मेरे सरनेम की स्पेलिंग में त्रुटि हुई है. सही स्पेलिंग अंग्रेजी में (TUSHAR RAISANE) है. मेरा सही नाम व सरनेम (TUSHAR RAISANE) पढ़ा एवं मान्य किया जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम
(TUSHAR RAISENE)

नया नाम
(TUSHAR RAISANE)
सी–3/8, महाकाल वाणीज्य केंद्र,
उज्जैन (म.प्र.).

(G-1224)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय महाकाल वेयर हाउसिंग कम्पनी जो म.नं. 10 चीनोर रोड, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/02 /00305/13, दि. 26–03–2013 है, जिसमें दिनांक 01–04–2023 को भागीदार (1) श्री मनोज दुवे पुत्र श्री हरचरनलाल दुवे, निवासी–ग्राम बरोठा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (2) श्री जितेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री रामभरोसे चतुर्वेदी, निवासी–जवाहरगंज, डबरा, ग्वालियर, (3) श्री देवकीनन्दन शर्मा पुत्र श्री रामेश्वरदयाल शर्मा, निवासी–क्मलेश्वर कालोनी, डबरा, ग्वालियर, (4) श्रीमती मुन्नीदेवी शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, निवासी–तुलसीनगर, झांसी रोड, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01–04–2023 को (1) श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री कौशल शर्मा, निवासी–चीनोर रोड, बस स्टेन्ड, डबरा, ग्वालियर, (2) श्री पियुष शर्मा पुत्र श्री कौशल शर्मा, निवासी–चीनोर रोड, बस स्टेन्ड, डबरा, ग्वालियर, (3) श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा, निवासी–चीनोर रोड, बस स्टेन्ड, डबरा, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स जय महाकाल वेयर हाउसिंग कम्पनी,
कौशल शर्मा,
(भागीदार)
म.नं. 10, चीनोर रोड, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1225)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्रमांक 06/10/01/0008/17, दिनांक 04–04–2017 माँ बिल्डकॉन बी–71, विजय नगर, दमोह के नाम से पंजीकृत थी. जिसमें तीन पार्टनर निम्न अनुसार थे. (1) रोहणी प्रसाद पटेल पिता स्व. श्री लालजी पटेल, (2) राजेन्द्र पटेल पिता स्व. श्री टेकचंद पटेल, (3) बद्री प्रसाद पटेल पिता श्री बलराम पटेल दिनांक 31–05–2023 से दो भागीदार राजेन्द्र पटेल एवं बद्री प्रसाद पटेल रिटायरमेंट एवं 31–05–2023 से श्रीमति राजकुमारी पटेल का फर्म में प्रवेश हो रही हैं.

अतः आज दिनांक 31–05–2023 से रोहणी प्रसाद पटेल एवं श्रीमति राजकुमारी पटेल माँ बिल्डकॉन में दोनों पार्टनर रहेंगे.

माँ बिल्डकॉन
रोहिणी प्रसाद पटेल,
पार्टनरशिप
बी–71, विजय नगर, दमोह (म.प्र.).

(G-1226)

नाम परिवर्तन

मैं, ओम प्रकाश पटेल पिता श्री हीरा लाल पटेल निवासी–L–32/5, महर्षि पतंजलि परिसर, गांधी नगर, भोपाल में निवासरत तथा उपरोक्त वर्णित नाम से प्रचलित हूं, मेरा वास्तविक नाम ओम प्रकाश है, जबकि कुछ दस्तावेजों (जैसे शासकीय सेवा संबंधी, बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र, बैंक खाता, बीमा पॉलिसी, 12th अंकसूची/प्रमाण–पत्र एवं अन्य) में मेरा नाम त्रुटिवश ओम प्रकाश पटेल दर्ज हो गया है.

अतः अब से मुझे ओम प्रकाश नाम से जाना व पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल के स्थान पर ओम प्रकाश लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(ओम प्रकाश पटेल)
(Om Prakash Patel)

नया नाम
(ओम प्रकाश)
(Om Prakash)

(G-1227)

आम सूचना

M/s. SHRI SAINATH INFRASTRUCTURE फर्म के साझेदारों द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें, भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/0157/18, दिनांक 13–08–2018 है दिनांक 01–01–2018 भागीदार Sudhir Kumar Srivastava को सम्मलित/शामिल किया गया एवं दिनांक 01–01–2018 को भागीदार 1. Vinod Kumar Nair, 2. Prashant Tiwari, 3. Shailendra Singh स्वेच्छा से फर्म से निवृत्तमान हो गये हैं साथ ही फर्म में दिनांक 08–06–2022 को भागीदार 1. Shailendra Singh, 2. Dhairya Singh, 3. Jitendra Singh Rajput को सम्मलित/शामिल किया गया एवं दिनांक 08–06–2022 को भागीदार 1. Champa Singh, 2. Sudhir Kumar Srivastava स्वेच्छा से फर्म से निवृत्तमान हो गये हैं. भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदारों को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे साथ ही भागीदार स्वेच्छा से फर्म से निवृत्तमान हो गये हैं. उक्त निवृत्तमान भागीदारों का फर्म से किसी प्रकार का संबंध नहीं है. फर्म के पंजीकृत पते में परिवर्तन किया गया. पूर्व पता– 52 A, Flower City, Shankaracharya, Bagmugaliya, Bhopal वर्तमान पता– A-403, Rahul Nagar, Near Revera Town, Mata Mandir Square, Bhopal है, दिनांक 30–05–2023 साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित हो.

SHRI SAINATH INFRASTRUCTURE,
SHAILENDRA SINGH,
(Partner)
A-403, Rahul Nagar, Near Revera Town,
Mata Mandir Square, Bhopal.

(G-1228)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स धवल एंटरप्राईजेज, पता प्लाट नंबर–39, सेक्टर–ई, इंडस्ट्रियल एरिया, बगरोदा, तहसील फंदा, जिला भोपाल पंजीयन क्र. 01–01–01–0170–19 दिनांक 07–08–2019 पर पंजीयत है. उक्त फर्म में श्रीमती श्वेता जैन एवं श्री अभिजीत कुमार भागीदार रहे हैं. उक्त फर्म को भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 10–01–2023 से भंग कर दिया गया है. अब उक्त फर्म का संचालन प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में श्रीमती श्वेता जैन के द्वारा किया जायेगा.

मेसर्स धवल एंटरप्राईजेज
(श्वेता जैन)
भागीदार

(G-1229)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविमागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग सांवेर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

(फार्म–चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 5 (1) के अंतर्गत आवेदकगण श्री ओमप्रकाश पिता बैजनाथ शर्मा, कृष्ण कुमार पिता बैजनाथ शर्मा, इन्दु पति हरिशंकर शर्मा निवासी सांई विहार कॉलोनी सांवेर रोड़ इन्दौर द्वारा आर्य वैदिक ट्रस्ट, इन्दौर पता– सांई विहार कॉलोनी, ग्राम बड़ोदिया एमा सांवेर रोड़ इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4 (2) के तहत निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क जमा कर प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है.

परिशिष्ट

ट्रस्ट का नाम	:	"आर्य वैदिक ट्रस्ट, इन्दौर".
पता	:	पता– सांई विहार कॉलोनी, ग्राम बडोदिया एमा सांवेर रोड़ इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	नगद रुपये 5551/– (अक्षरी पांच हजार पांच सौ इक्कावन मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	कोई सम्पत्ति नहीं.

आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1230) **रविश श्रीवास्तव,** पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविमागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्टार पब्लिक ट्रस्ट, परगना व जिला भिण्ड, म.प्र.

फार्म–4

(नियम (1) देखिए)

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत)

जैसा कि श्रीमती कुसुमलता पत्नी ओमेन्द्रसिंह आदि निवासी पट्टोबाई धर्मशाला पुस्तक बाजार भिण्ड द्वारा (पट्टोबाई धर्मशाला भिण्ड) का पब्लिक न्यास गठन किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय सहपत्रों के जरिये अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 12–6–2023 को विचार में लिया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो ओर कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वंय मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	"पट्टोबाई धर्मशाला पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड".
2. चल सम्पत्ति	:	कुल अनुमानित कीमत 89,000/– रुपये.
3. अचल सम्पत्ति	:	पुस्तक बाजार वाली रोड पर पट्टोबाई धर्मशाला की चौडाई 75 फुट ओर भूता बाजार वाली रोड पर इसकल चौडाई 47 फुट व धमेन्द्र जैन के मकान की तरफ इसकी लम्बाई 105 फुट ओर जैन मंदिर के बगल में इसकीक लम्बाई 60 फुट कुल क्षेत्रफल 6867 वर्गफीट है जिसमें प्रथम तल पर कमरे 18, हाल–1, दुकानें 8 द्वितीय पर 5 फैमली पोरशन है.

(G-1231) उदयसिंह सिकरवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

फार्म–चार

सूचना पत्र

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा–5 (2) तथा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ओमप्रकाश पिता दीपचंद मुकाती निवासी सहस्त्रार्जून मार्ग, महेश्वर तह. महेश्वर जिला खरगोन म.प्र. न्यासधारी एवं अध्यक्ष "श्री सोमवंशी सहस्त्रार्जून क्षत्रिय मारू समाज ट्रस्ट महेश्वर" पता हिंगलाज मंदिर सहस्त्रार्जून मार्ग, महेश्वर तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र. द्वारा, कलेक्टर महोदय खरगोन को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सोमवंशी समाज महेश्वर द्वारा समाज की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक गतिविधियों को चलायमान रखने तथा समाज के विकास एवं उत्थान के लिये न्यास की स्थापना करना चाहते है। इसलिये उक्त न्यास का पंजीय हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम–1962 के नियम–4(2) के प्रारूप–तीन में प्रस्तुत किया है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जानें का निवेदन किया गया है।

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 03–07–2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामलें की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ. उक्त आवेदन पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम	:	"श्री सोमवंशी सहस्त्रार्जून क्षत्रिय मारू समाज ट्रस्ट महेश्वर" तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, म.प्र.
2. न्यास का पता	:	हिंगलाज मंदिर सहस्त्रार्जून मार्ग, महेश्वर तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.
3. चल संपत्ति	:	49001/–

4. अचल संपत्ति : निम्नानुसार है.

सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति जिस नाम से नगर परिषद में दर्ज है, उसका विवरण	भवन क्र.	सर्वे नं.	साईज (वर्गफीट में)	अनुमानित कीमत (वर्ष 2021 की गाईड लाईन अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिंगला मंदिर	व्यवस्थापक दीपनंद तुलसीराम	509	2533	40x40=1600 वर्गफीट	17.70 लाख
धर्मशाला	पंचायती मारू	517,518	2535,2536	60x70=4200 वर्गफीट	46.45 लाख
मकान टीनशेड	धर्मशाला पंचायती पंच मारू	507	2530	12x20=240 वर्गफीट	01.70 लाख
पड़त तवा	धर्मशाला पंचायती पंच मारू	520	2538	30x60=1800 वर्गफीट	07.37 लाख
मकान आरसीसी	अध्यक्ष, सोस.क्षत्रिय समाज	468/3	2551	20x35=700 वर्गफीट	07.75 लाख
कृष्ण मंदिर	व्यवस्थापक–दीपंचद तुलसीराम (श्रीकृष्ण मंदिर मारू लोगों का)	461	2588	80x35=2800 वर्गफीट	22.76 लाख

यह सूचना आज दिनांक 02–06–2023 को मरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(G-1232) **अनिल जैन,** अनुविभागीय अधिकरी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), वृत भोपाल, मध्यप्रदेश

सार्वजनिक उद्दघोषणा

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत)

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल.

जैसा कि आवेदक श्री मोहम्मद मंजूर खांन पुत्र श्री जहूर मोहम्मद, निवासी– मं.नं. 31, हाउसिंग पार्क, एक्सटेंशन, करोंद, भोपाल (म0प्र0) द्वारा प्रबंध न्यासी डॉ0 मलिका मंजूर चैरिटेबल ट्रस्ट, करोंद, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर "डॉ0 मलिका मंजूर चैरिटेबल ट्रस्ट" रजिस्टर्ड पता–म.नं.–33 हाउसिंग पार्क, एक्सटेंशन, करोंद, भोपाल (म0प्र0) के पंजीयन हेतु अनुरोध किया गया है.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 10–07–2023 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	"डॉ0 मलिका मंजूर चैरिटेबल ट्रस्ट" रजिस्टर्ड पता– म.नं.–33 हाउसिंग पार्क, एक्सटेंशन, करोंद, भोपाल (म.प्र.)
2. अचल सम्पत्ति	:	निरंक
3. चल सम्पत्ति	:	10,000/– (दस हजार मात्र)

(G-1233) **मनोज उपाध्याय,** रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाऐं

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 16 मई, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत्]

क्र.–परि.–2023–585.–जिले में स्थित संजीवनी बीज उत्पा. एवं विप. सहकारी समिति मर्या., कंदोहा, पंजीयन क्रमांक 1091, दिनांक 14 जुलाई 2010 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम, की धारा 70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी–लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किया जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी–देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, चंद्र प्रताप सिंह भदोरिया, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–एक–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) की तहत् संजीवनी बीज उत्पा. एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., कंदोहा, पंजीयन क्रमांक 1091, दिनांक 14 जुलाई 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1234) **चंद्र प्रताप सिंह भदोरिया,** उप पंजीयक

उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं :–

क.	नाम संस्था	पंजीयन कमांक/दिनांक	परिसमापन कमांक व दिनांक
1	नाकोड़ा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता .भण्डार मर्या देवास	921/24.02.2001	1822/24.05.2023
2	आनन्द श्री महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता .भण्डार मर्या देवास	1073/27.05.2004	1820/24.05.2023

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कायालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नही होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टांक नही सौपे गये हैं तो संबंधित के विरूद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नही होती हैं तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 5-6-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं।

(G-1235) अनिता मेहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी सस्थाऐं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 मई, 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र. परि–2023–749.– प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छतरपुरा, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1423, दिनांक 04 मई 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र कमांक–परिसमापन–2023–172, सीहोर, दिनांक 24 फरवरी 2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया.अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–एक–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छतरपुरा तह. श्यामपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा–70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र. परि–2023–750.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटनी, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1788, दिनांक 21 अगस्त 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र कमांक–परिसमापन–2023–171, सीहोर, दिनांक 24 फरवरी 2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–एक–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटनी, तह. श्यामपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा–70 (1) के अन्तर्गत श्री सुनील सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र. परि–2023–751 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खुरानिया, तह. सीहोर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1704, दिनांक 17 अप्रैल 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र कमांक–परिसमापन–2023–174, सीहोर, दिनांक 24 फरवरी 2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया.अतः सोसायटी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खुरानिया, तह. सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा–70 (1) के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप. अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र. परिसापन–2023–752.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदिया, तह. भैंरूदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1627, दिनांक 27 सितम्बर 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र कमांक–परिसमापन–2023–175, सीहोर, दिनांक 24 फरवरी 2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदिया, तह. भैंरूदा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा–70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र. परिसमापन–2023–861.– दिनांक 9 जून, 2023

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थूनाखुर्द, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1762, दिनांक 14–03–2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना–पत्र कमांक–परिसमापन–2023–738, सीहोर, दिनांक 15–05–2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थूनाखुर्द, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1762, दिनांक 14–03–2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा–70 (1) के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत)

क्र. परिसमापन–2023–852.– दिनांक 8 जून, 2023

इस कार्यालय का आदेश कं,–परिसमापन–2022–797, सीहोर, दिनांक 29–06–2022 के द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित सीहोर, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1109 दिनांक 28–01–2003 है, जो. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29–07–99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1109 दिनांक 28–01–2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित सीहोर, तहसील व जिला सीहोर पंजीयन कमांक 1109 दिनांक 28–01–2003 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत)

दिनांक 10 मई, 2023

क्र. परिसमापन–2023–600.–

कार्यालय के विभिन्न आदेशों से निम्नांकित सहकारी संस्थाओं में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय के आदेश क्रं.–फाईल नं 1–1–3–0001–2023–Sec–2–15 (COP) भोपाल दिनांक 24–04–2023 के द्वारा श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को उच्च पद सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदौन्नत कर जिला राजगढ, स्थानानंतरण हो जाने के कारण इन संस्थाओं में कॉलम क्रमांक 06 में अंकित अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परि. आदेश क्रमांक / दिनांक	नव नियुक्त परिसमापक का नाम व पद
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., काहीरी जदीद.	सीहोर	1358 / 03–02–2007	655 / 05–08–2021	श्री विनय शर्मा, उप अंकेक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पावखेड़ी.	आष्टा	1851 / 08–12–2016	341 / 09–03–2022	श्री आर. सी. रैकवाल, सह. निरीक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सगोनिया.	भैरूंदा	1233 / 20–05–2003	1051 / 12–09–2022	श्री आर. एस. रैकवाल, सह. निरीक्षक.
4.	सामु. ग्रा. विकास साख सह. संस्था मर्या., ढाबला.	सीहोर	1814 / 06–12–2014	347 / 09–03–2022	श्री आर. सी. रैकवाल, सह. निरीक्षक.
5.	सामुदायिक कृषि सह. संस्था मर्या., गेरूखान.	सीहोर	175 / 14–06–1981	276 / 31–03–2015	श्री विनय शर्मा, उप अंकेक्षक.
6.	रेवा मछुआ सह. संस्था मर्या., बड़ाबायां.	रेहटी	1388 / 05–11–2007	671 / 20–05–2022	श्री उमेश मिश्रा, सह. निरीक्षक.
7.	सिंधु गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., सीहोर.	सीहोर	180 / 13–03–1961	653 / 05–08–2021	श्री आर. एस. रैकवाल, सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1236)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन–2023–737.– दिनांक 15 मई, 2023

मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांरभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था, मर्यादित, दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 8010 तथा दिनांक 30–06–1983 है. संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया. जिसमें संस्था सचिव द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था सदस्य संस्था को चलाने में असमर्थ है. अतः इस प्रकार शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था, मर्यादित, दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया हैं.

अतः मैं, पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था, मर्यादित, दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 8010 तथा दिनांक 30–06–1983. को परिसमापन में लाये जाने संबधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था, मर्यादित, दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 8010 तथा दिनांक 30–06–1983 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15–05–2023 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन–2023–738.–मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांरभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, थूना खुर्द, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1762 तथा दिनांक 14–03–2014 है. संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया. जिसमें संस्था सचिव द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था सदस्य संस्था को चलाने में असमर्थ है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, थूना खुर्द, तहसील व जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69–2 (क) एवं धारा 69–2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया हैं.

अतः मैं, पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, थूना खुर्द,

तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1762 तथा दिनांक 14–03–2014 को परिसमापन में लाये जाने संबधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, थूना खुर्द, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1762 तथा दिनांक 14–03–2014 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना–पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना–पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15–05–2023 को जारी किया गया.

पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

(G-1236)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर

दिनांक 25 मई, 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र. परि–2023–क्यू.–उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किय गयाः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मकोडिया कीर	रेहटी	1454 / 22–10–2009	873 / 08–10–2021
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सतदेवा	रेहटी	1671 / 29–09–2012	872 / 08–10–2021

अतः मैं, विनोद कुमार जैन, पद उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहार में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(G-1237)

कार्यालय सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 26 मई 2023

[नियम 57 (ग) के तहत् दावे एवं आपत्तियों की सूचना]

क्र. परि–2023–क्यू.–यह कि निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 4 में दर्ज उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., दिगवाड़	1625 / 26–09–2012	866 / 08–10–2021

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्यादित, अतरालिया	1629 / 27–09–2012	865 / 08–10–2021
3.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्यादित, इटारसी–2	1751 / 13–02–2014	867 / 08–10–2021
4.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्यादित, बड़ोदिया	1627 / 27–09–2012	752 / 16–05–2023
5.	प्राथ. बीज उत्पादक सह. समिति मर्यादित, छतरपुरा	1423 / 04–05–2009	749 / 16–05–2023

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए उक्त सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 (सी) की इस सूचना–पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 26–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1238) **आर. एस. रैकवाल,** सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप / सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	विशाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास	714 / 31–12–1990	1819 / 24–05–2023

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक, पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 11.00 बजे. से 5.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों / साहूकारों / सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस / शून्यकाल मानकर तदानुसारं पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 30–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(G-1239) **प्रेरणा जोमेकर,** परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र. परि–2023–1823.– पुलिस कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 834, दिनांक 28 नवम्बर 1996 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1209, दिनांक 12 अप्रैल 2023 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 834 दिनांक 28 नवम्बर 1996 है, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री अरूण ाहहा, उप अंकेक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1822.–नाकोड़ा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 24–02–2001 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1205, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना–पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाकोड़ा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 24–02–2001 है, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1821.–आकाश महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 957, दिनांक 07–07–2001 हैं, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1210, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाश महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 957, दिनांक 07–07–2001 है, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती तरूणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1820.–आनन्द श्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1073, दिनांक 27–05–2004 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1211, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना–पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आनन्द श्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1073, दिनांक 27–05–2004 है, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1819.–विशाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 31–12–1990 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था.संस्था

प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1207, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना–पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 31–12–1990 है, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1818.–रतन श्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1437, दिनांक 16–06–2014 हैं, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था.संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1204, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना–पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतन श्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1437, दिनांक 16–06–2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती अरूण पेठारे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

देवास, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1817.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनीबुजुर्ग पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 29–10–1991 हैं, संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21–3–2023 से अवगत करवाया है कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचक करवाये जाने में रूचि नहीं होना दर्शाया है जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1195 दिनांक 12–4–2023 से कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरांत एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा पूर्व में ही आवेदन प्रेषित किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनीबुजुर्ग पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 29–10–1991 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्रीमती पर्वतसिंह निगवाल, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्योलयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

शहडोल, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1816.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवनगर, पंजीयन क्रमांक 2101, दिनांक 05–12–2019 हैं, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशाकस नियुक्त किया गया था.संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1203, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवनगर, पंजीयन क्रमांक 2101, दिनांक 05–12–2019 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री अजय पाठक, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

शहडोल, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1814.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करमनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2107, दिनांक 30–07–2020 हैं, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था.संस्था प्रशासक ने अपने सत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं निकट भविष्य में कार्यशील रहने की कोई संभावना नहीं है गई, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1199, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करमनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2107, दिनांक 30–07–2020 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री अजय पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

शहडोल, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1813.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुराड़ियाभील, पंजीयन क्रमांक 1508, दिनांक 20–10–2014 हैं, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7–क)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था.संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29–03–2023 से सूचित किया गया है कि संस्था के पंजीकृत पते पर कई बार संपर्क किया गया किन्तु कोई भी पदाधिकारी उपलब्ध नहीं पाये गये एवं संस्था से संबधित पर्यवेक्षक द्वारा प्रशासक को लिखित में पत्र के माध्यम से जानकारी दी गयी कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन करवाये जाने में काई रूचि नहीं होना दर्शाया है, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत् अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1196, दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुराड़ियाभील, पंजीयन क्रमांक 1508, दिनांक 20–10–2014 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आनन्द खत्री, वरिष्ठ सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

शहडोल, दिनांक 24 मई 2023

क्र.–परि.–2023–1815.–महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतवास, पंजीयन क्रमांक, 519, दिनांक 28–10–2014 हैं. संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21–03–2023 से अवगत करवाया है कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन करवाये जाने में रूचि नहीं होना दर्शाया है. जिससे यह स्पष्ट होता हैं. कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र कमांक 1197 दिनांक 12–04–2023 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था जिसका जबाव प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के उपरान्त एवं उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है,क्योंकि संस्था से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा पूर्व में ही आवेदन प्रेषित किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26–07–99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतवास, पंजीयन क्रमांक 1519, दिनांक 28–10–2014 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसनापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री पर्वत सिंह, निंगवाल सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24–05–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-1240) **परमानंद गोडरिया,** उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक जय अम्बे विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित किटी कोठड़ा, जिला देवास

किटीकोठड़ा, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्रमांक–परि.–2023–क्यू. –उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं, जिला देवास के आदेश कमांक–परिसमापन–2023–1140 दिनांक 11–04–2023 द्वारा जय अम्बे विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, किटीकोठड़ा, पंजीयन कमांक 1151, दिनांक 08–08–2006 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होतीं हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

(G-1241)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बामनीबुजूर्ग जिला देवास

बामनीबुजूर्ग, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्रमांक–परि.–2023–क्यू. – उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला देवास के आदेश कमांक–परिसमापन–2023–1817 दिनांक 24–05–2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनीबुजूर्ग, पंजीयन कमांक 743, दिनांक 29–10–1991 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं.

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्रः सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी, रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टांक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों /सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

(G-1242)

कार्यालय, परिसमापक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सतवास, जिला देवास

सतवास, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्रमांक–परि.–2023–क्यू– उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश कमांक–परिसमापन 2023–1815 दिनांक 24–05–2023 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतंवास, पंजीयन कमांक 1519, दिनांक 28–10–2014 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं.

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र, सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्थतियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टांक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती कीं कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

(G-1243)

कार्यालय, परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सतवास, जिला देवास

सतवास, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्रमांक–परि.–2023–क्यू– उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं जिला देवास के आदेश कमांक–परिसमापन–2023–1157 दिनांक 11–04–2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सत्तवास, पंजीयन कमांक 1060, दिनांक 19–05–2003 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नही होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टांक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दौवेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन रो पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी ।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(G-1244)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जानसूर, जिला देवास

जानसूर, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्र. परि–2023–क्यू.–उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–1512 दिनांक 11–05–2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जानसूर पंजीयन कमांक 1481, दिनांक 09–09–2044 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं.

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होतीं हैं तो दावेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

(G-1245)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रहमानपुरा जिला देवास

रहमानपुरा, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्रमांक–परि.–2023–क्यू– उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं जिला देवास के संशोधित आदेश कमांक–परिसमापन– 2023–1514 दिनांक 11–05–2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रहमानपुरा पंजीयन कमांक 1439, दिनांक 19–06–2014 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं।

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरूद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरूद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होतीं हैं तो दावेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

(G-1246)

कार्यालय, परिसमापक श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सामगी, जिला देवास

सामगी, दिनांक 01 जून 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

क्रमांक–परि.–2023–क्यू– उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं जिला देवास के संशोधित आदेश कमांक–परिसमापन– 2023–587, दिनांक 17–02–2023 द्वारा श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सामगी पंजीयन कमांक 1540 दिनांक 28–07–2015 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं.

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्था के विरूद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरूद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होतीं हैं तो दावेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 01–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(G-1247) पर्वत सिंह निंगवाल, सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 फरवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, नियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1155.–जिले में स्थित जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाड़ा, पंजीयन कमांक 874, दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाड़ा, पंजीयन कमांक 874 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 10–02–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मार्च 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1859.–जिले में स्थित उन्नत बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., टूनवाड़ा पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औदचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उन्नत बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., दूनवाड़ा पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27–03–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मार्च 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1858.–जिले में स्थित जय हरि किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा पंजीयन क्रमांक 982 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औदचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत जय हरि किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भुम्मा पंजीयन क्रमांक 982, दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27–03–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1865.–जिले में स्थित राधिका महिला अनाज क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., खमारपानी पंजीयन क्रमांक 848, दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औदचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत राधिका महिला अनाज क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., खमारपानी पंजीयन क्रमांक 848, दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31–03–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 फरवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1764.–जिले में स्थित चाटवा दुग्ध उत्पा. प्राथ. महिला सहकारी समिति मर्या. चाटवा पंजीयन क्रमांक 1047 दिनांक 20–10–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औदचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत चाटवा दुग्ध उत्पा. प्राथ. महिला सहकारी समिति मर्या. चाटवा पंजीयन क्रमांक 1047 दिनांक 20–10–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक .... 02–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 फरवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1156.–जिले में स्थित कन्हान बीच उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गुरैयाथार पंजीयन क्रमांक 890 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औदचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत कन्हान बीच उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गुरैयाथार पंजीयन क्रमांक 890 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 10–02–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1116.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. उल्हावाड़ी पंजीयन क्रमांक 543 दिनांक 26–03–1996 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1098, दि. 9–08–2004 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औदचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. उल्हावाडी पंजीयन क्रमांक 543 दिनांक 26–03–1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30–01–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–456.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बेरडी पंजीयन क्रमांक 776 दिनांक 01–03–2012 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बेरडी पंजीयन क्रमांक 776 दिनांक 01–03–2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक .....07–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–924.–जिले में स्थित आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चिखलार पंजीयन क्रमांक 948 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत नवआदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चिखलार पंजीयन क्रमांक 948 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28–12–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1118.–जिले में स्थित बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जुन्नारदेव पंजीयन क्रमांक 526 दिनांक 21–11–1995 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दि. 5–05–2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जुन्नारदेव पंजीयन क्रमांक 526 दिनांक 21–11–1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30–01–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–1117.–जिले में स्थित जय कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पांजरा पंजीयन क्रमांक 880 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत जय कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पांजरा पंजीयन क्रमांक 880 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30–01–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–763.–जिले में स्थित आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. कोहपानी पंजीयन क्रमांक 667 दिनांक 08–09–2005 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दि. 05–05–2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. कोहपानी पंजीयन क्रमांक 667 दिनांक 08–09–2005 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 18–11–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 अगस्त 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–533.–जिले में स्थित श्री हिंगलाज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. शीलादेही पंजीयन क्रमांक 875 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत श्री हिंगलाज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. शीलादेही पंजीयन क्रमांक 875 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 25–08–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 अगस्त 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–532.–जिले में स्थित शुभम एग्रो बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. उमरेठ पंजीयन क्रमांक 892 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत शुभम एग्रो बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. उमरेठ पंजीयन क्रमांक 892 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 25–08–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–454.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. घोघरी पंजीयन क्रमांक 495 दिनांक 29–03–1995 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1613, दि. 13–05–2016 से परिसमापित्त किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. घोघरी पंजीयन क्रमांक 465 दिनांक 29–03–1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक ...–07–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–455.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बिछुआ पंजीयन क्रमांक 579 दिनांक 17–06–1998 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दि. 05–05–2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बिछुआ पंजीयन क्रमांक 579 दिनांक 17–06–1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 29–07–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 दिसम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–839.–जिले में स्थित जय श्री राम फल–फूल साग सब्जी उत्पा. सहकारी समि. मर्या. हिर्री पंजीयन क्रमांक 1010 दिनांक 10–01–2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित्त किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत जय श्री राम फल–फूल साग सब्जी उत्पा. सहकारी समि. मर्या. हिर्री पंजीयन क्रमांक 1010 दिनांक 10–01–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 08–12–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 जनवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–954.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खुटियाढाना पंजीयन क्रमांक 725 दिनांक 25–01–2010 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दि. 5–5–2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खुटियाढाना पंजीयन क्रमांक 725 दिनांक 25–01–2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 09–01–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 जनवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–953.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पिपरियाराजगुरू पंजीयन क्रमांक 794 दिनांक 28–04–2012 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 23–03–2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पिपरियाराजगुरू पंजीयन क्रमांक 794 दिनांक 28–04–2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 09–01–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 जनवरी 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2023–953.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. धसनवाड़ा पंजीयन क्रमांक 1033 दिनांक 28–04–2012 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दि. 5–05–2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. धसनवाड़ा पंजीयन क्रमांक 1033 दिनांक 29–09–2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 09–01–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 दिसम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2022–840.–जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खमराअड़कू पंजीयन क्रमांक 578 दिनांक 17–06–1998 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दि. 5–05–2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा..

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 26–07–1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धणरा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खमराअड़कू पंजीयन क्रमांक 578 दिनांक 17–06–1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 08–12–2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(G-1248) जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.–05–बी–113–2022–23

प्रारूप–4

[नियम–5 (1) देखिये]

[म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–5 की उपधारा (2) और म.प्र. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल जिले के समक्ष

चूंकि श्री सुखीराम मरावी (सचिव) आ. श्री छोटेलाल मरावी, निवासी–म.नं.–381, बंजारा बस्ती, भदभदा मार्ग, भोपाल (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 07–07–2023 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर. भोपाल का THE GOND TRIBAL ART TRUST भोपाल लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनाक 07–07–2023 को उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनाक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनंक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	:	THE GOND TRIBAL ART TRUST भोपाल (म.प्र.)
2.	अचल सम्पत्ति	:	निल
3.	चल सम्पत्ति	:	निल

आज दिनांक 13–06–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीयन पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-1249) संतोष कुमार बिटोलिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023–आषाढ़ 9, शक 1945

भाग ३ (२)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.